14/5/25 कोई उपस्थिति नहीं। मामला एवं वादी
तथा उनके वकील को बार-बार आवाज
लगवाई गई कोई हाजिर/जवाब नहीं
आया। न ही कोई उपस्थित हुआ अतः
दावा वादी अदम हाजिरी व अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। उपरोक्त
फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
[illegible]